रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद,

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

चौ० प्रकाश चन्द्र पब्लिक हाo स्कूल

पावी सादकपुर लोनी, गाजियाबाद

पत्रांक : आई०बी० मान्यता / 429 दिनांक 31/5/2010

विषय :–इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक / ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 2012 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषयों में वित्त विहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1967 की धारा 7–क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि / भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7–क (क) के समस्त प्रावधान यथावत लागू होंगे।

कृ० प० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना / प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख) विद्यालय मे कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची शैक्षिक योग्यता सहित प्रत्येक 3-माह के अन्तर पर परिषद कार्यालय को भेजना आवश्यक होगा, अन्यथा विद्यालय की प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर/मानविकी	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र कला।
इण्टर/वैज्ञानिक	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान

टिप्पणी– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की प्रति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या : आई0वी0 मान्यता / दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।

2–संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।

3–संभागीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।

4–इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।

5–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0) 59 मा0शि0प0–16–10–08–5000 प्रतियां (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।